विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 2)

[27 फरवरी, 2107]

**लोकहित में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर दायित्वों की
समाप्ति के लिए और उससे सम्बन्धित
या उसके आनुषंगिक विषयों का
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 31 दिसम्बर, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषा—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 31 दिसम्बर, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) "अनुग्रह अवधि" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट, इस अधिनियम के अनुसार निक्षिप्त किए जा सकते हैं;

(ग) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(घ) "रिजर्व बैंक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(ङ) "विनिर्दिष्ट बैंक नोट" से 8 नवम्बर, 2016 को या उससे पूर्व विद्यमान क्रम के पांच सौ रुपए या एक हजार रुपए की श्रृंखला के अंकित मूल्य का कोई बैंक नोट अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में पारिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके हैं ।

3. विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के प्रति रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार का दायित्व न होना—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियत तारीख से ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3407 (अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट, जिनकी वैध निविदा नहीं है, धारा 34 के अधीन रिजर्व बैंक का दायित्व नहीं होंगे और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति नहीं होंगे ।

4. विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विनिमय—(1) धारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 8 नवम्बर, 2016 को या उससे पूर्व विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखने वाले निम्नलिखित व्यक्ति अनुग्रह अवधि के भीतर ऐसी घोषणाओं या कथनों सहित रिजर्व बैंक के ऐसे कार्यालयों में या ऐसी अन्य रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निविदत्त करने के हकदार होंगे, अर्थात्:—

(i) भारत का कोई नागरिक, ऐसी शर्तों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन यह घोषणा करता है कि वह 9 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के बीच भारत से बाहर था; या

(ii) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग और ऐसे कारणों से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) रिजर्व बैंक, ऐसे सत्यापन करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यदि यह समाधान हो जाता है कि धारा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नोटों को निक्षिप्त करने में विफलता के लिए कारण वास्तविक हैं, उसके, नोटों के मूल्य को अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक बैंक खाते में ऐसी रीति से, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जमा कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नोटों के मूल्य को जमा किए जाने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसी इंकारी की संसूचना के चौदह दिन के भीतर रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड को अभ्यावेदन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक बैंक खाता" से ऐसा खाता अभिप्रेत है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करता है।

5. विनिर्दिष्ट बैंक नोट धारण करने, अंतरित करने या प्राप्त करने पर प्रतिषेध—कोई व्यक्ति, नियत दिन से ही, जानते हुए या स्वेच्छया किसी विनिर्दिष्ट बैंक नोट को धारण, अंतरित या प्राप्त नहीं करेगा:

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा—

(i) अनुग्रह अवधि की समाप्ति तक; या

(ii) अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पश्चात्,—

(अ) अंकित मूल्य का विचार किए बिना कुल दस नोटों से अनधिक, या

(आ) अध्ययन, अनुसंधान या मुद्राशास्त्र के प्रयोजनों के लिए पच्चीस नोटों से अनधिक;

(ख) रिजर्व बैंक या उसके अभिकरणों द्वारा, या रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;

(ग) न्यायालय में लंबित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के निदेश पर किसी व्यक्ति द्वारा,

विनिर्दिष्ट बैंक नोट धारण करने को प्रतिषिद्ध नहीं करेगी ।

6. धारा 4 के उल्लंघन के लिए शास्ति—जो कोई, जानते हुए या जानबूझकर, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई ऐसी घोषणा या कथन करेगा, जो तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है या कोई तात्विक कथन करने में लोप करेगा या कोई ऐसा कथन करेगा जिसके सत्य होने पर वह विश्वास नहीं करता है वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक या निविदित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रकम के पांच गुना तक का, इनमें से जो भी उच्चतर हो, हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

7. धारा 5 के उल्लंघन के लिए शास्ति—जो कोई धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक या उल्लंघन में अन्तर्वलित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के अंकित मूल्य की रकम के पांच गुना तक का, इनमें से जो भी उच्चतर हो, हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

8. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां धारा 6 या धारा 7 में निर्दिष्ट कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम को करने वाला कोई व्यक्ति एक कम्पनी है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन या व्यतिक्रम किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन या व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उल्लंघन या व्यतिक्रम किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "कोई कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, कोई न्यास, कोई सहकारी सोसाइटी और व्यष्टियों का अन्य संगम भी है;

(ख) किसी फर्म या न्यास के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का कोई भागीदार या न्यास में का कोई हिताधिकारी अभिप्रेत है ।

9. अपराधों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय या किसी महानगर मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।

10. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, रिजर्व बैंक या उनके किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

11. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

13. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 10) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी ।

———